129 25 ''सरकारी खाते में हवाई यात्रा'' – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जहां हवाई पैकेज की लागत सीपीएसई द्वारा वहन की जाती है।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जब सरकारी खाते पर अधिकारियों/अन्य लोगों द्वारा हवाई यात्रा, चाहे घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय की जाती है और यात्रा व्यय सीपीएसई द्वारा वहन किया जाता है, तो ऐसे मामले में पात्रता श्रेणी के छूट प्राप्त सबसे सस्ते किराये के टिकट लिए जाने चाहिए।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सीपीएसई को उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दें ।

3. यह दिनांक 14.09.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4(13)/2012–वित्त–III के जरिए प्रदत्त आईएफ विंग की सहमति से जारी किया जाता है।

4. इसे मंत्री, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. डीपीई/3 (04)/08–वित्त, दिनांक : 07 जनवरी 2013)

*****